Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. SK/3/2017/STGBH/SEOTH/RU-III **Date: 14.02.2019**

To,

1. The Principal Secretary,
   General Administration Department,
   Government of Bihar,
   Patna, Bihar

Sub: **Proceeding of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 22.01.2019 at 03.00 p.m.** in the matter of Representation dated 27.03.2017 of Shri Santosh Kharwar, National President, Ramnarayan Kharwar Kalyan Samitee, Indra Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh regarding issued Caste Certificate of Kharwar Caste.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 22.01.2019 at 03.00 P.M. on the above cited subject.

It is, requested that **action taken report** in the matter may please be sent to the Commission within **15 Days**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

14/2/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Santosh Kharwar,
   National President, Ramnarayan Kharwar Kalyan Samitee,
   9/331, Indra Nagar,
   Lucknow - 226016 (Uttar Pradesh)
2. PS to Hon'ble Vice - Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(SK/3/2017/STGBH/SEOTH/RU- III)

श्री संतोष खरवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामनारायण खरवार कल्याण समिति, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार राज्य में खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22/1/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 22/1/2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री संतोष खरवार ने दिनांक 23/03/2017 को खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में आयोग को आवेदन दिया था।
2. मामले में आयोग की ओर से दिनांक 06/04/2017 को संबंधित विभाग को नोटिस भेजा गया था। विभाग की ओर से प्राप्त जवाब की प्रति अभ्यावेदक को दिनांक 16/05/2017 सूचनार्थ भेजी गई थी। मामले में अभ्यावेदक ने दिनांक 26/05/2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसे संबंधित विभाग को भेज दिया गया।
3. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 15/01/2018 को बैठक आहूत की गई थी। बैठक का कार्यवृत्त अभ्यावेदक व बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था तथा मामले में उचित कदम उठाने और एक माह में सूचित करने की अनुशंसा की गई थी।
4. बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 29/05/2018 को पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अवगत कराया गया था कि अनुसूचित जनजाति की सूची में अंकित किसी भी जाति के नाम के साथ उसकी उपजाति या अन्य जाति का नाम अथवा उसके पर्यायवाची को जोड़ना या हटाना भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। स्थल निरीक्षण कर सही

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

व्यक्तियों को खरवार जाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। जनजातीय अध्ययन के आधार पर खरवार जाति के उपनाम आदि के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में की जा सकेगी।

5. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 24/12/2018 को बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक को स्थगित कर पुनः दिनांक 22/01/2019 को बैठक आहूत की गई।
6. बैठक में आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक श्री संतोष खरवार ने बताया कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को गलत अवगत कराया है कि कमकर खरवार जाति की पर्यायवाची है। जिसके आधार पर खरवार के साथ कोष्ठक में कमकर जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था यह गलत है। कमकर, कहार, कमुआ एवं भुल्ला पर्यायवाची नहीं बल्कि पेशागत नाम है। सरकार द्वारा खरवार जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि राजस्व अभिलेख सुधार के संबंध में समस्त जिलाधिकारी को आदेश नहीं दिया गया।
7. मामले में आयोग ने बिहार सरकार के अधिकारी श्री राजेंद्र राम, अपर सचिव ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या– 673 के कंडिका 9 में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कतिपय अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का प्रावधान किया गया है तथा इन अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के पश्चात किसी भी जाति के सदस्य को वास्तविक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।
8. अभ्यावेदक ने बताया कि प्रावधान के बावजूद प्रशासन द्वारा लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि राजस्व अभिलेखों में गलत रूप से दर्ज पेशागत शब्द का सुधार हेतु बिहार सरकार ने खरवार जाति के नृजातीय अध्ययन रिपोर्ट के पेज नंबर 24, 25, 26 के आधार पर राजस्व सुधार हेतु जिलाधिकारियों को आदेश जारी नहीं किया है। जिससे अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जा रहे लाभों से वंचित होने को मजबूर हैं।
9. आयोग ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निम्नलिखित अनुशंसा की है –

   (क.) आयोग ने यह पाया कि बैठक में उपस्थित अधिकारी मामले में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि अगली बैठक में सक्षम अधिकारी जो कि मुख्य सचिव, बिहार सरकार हैं उपस्थित हों जिससे कि मामले का निस्तारण किया जा सके।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(SK/3/2017/STGBH/SEOTH/RU- III)

श्री संतोष खरवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रामनारायण खरवार कल्याण समिति, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार राज्य में खरवार जाति को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22/1/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) श्री नंद कुमार साय, अध्यक्ष
  - (2.) श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
  - (3.) श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल बसावा, सदस्य
  - (4.) श्री ए. के सिंह, सचिव
  - (5.) श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **बिहार सरकार के अधिकारी**
  - (1.) श्री राजेंद्र राम, अपर सचिव
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  - (1.) श्री संतोष खरवार